अस्वीकरण

संदेह से बचने के लिए प्रश्न और उत्तर जिसका मूल प्रकाशन आईसीएमए की वेबसाइट पर अंग्रेजी भाषा में है. वही दस्तावेज प्रामाणिक है. यह अनुवाद केवल सामान्य संदर्भ मात्र के लिए दिया गया है.

प्रश्न और उत्तर

I ग्रीन बॉन्ड

1 ग्रीन बॉन्ड की क्या कोई परिभाषा है?

2 क्या जारी किए गए हर ग्रीन बॉन्ड की कोई सरकारी सूची है?

3 ग्रीन बॉन्ड जारी करने से क्या लाभ है ?

4 क्या एक परियोजना बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड हो सकता है?

5 ग्रीन बॉन्ड, मौसम बॉन्ड, पर्यावरणीय बॉन्ड, सामाजिक बॉन्ड, सातत्ययोग्यता वाले बॉन्ड और ईएसजी बॉन्डों में क्या अंतर है?

6 क्या ग्रीन बॉन्ड अलग संपत्ति श्रेणी में आते हैं?

7 जारीकर्ता यदि जीबीपी का उल्लेख न करे तो निवेशक ग्रीन बॉन्ड की बॉन्ड के रूप में पात्रता कैसे पहचान सकता है?

8 जीबीपी संस्तुतियों को न मानकर क्या ग्रीन बॉन्ड चूक करेंगे?

II सामान्य

1 क्या जीबीपी विनियामक संस्थान है?

2 क्या जारीकर्ता को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है कि ग्रीन बॉन्ड जारी किए बिना परियोजनाएं नहीं ली जाएंगी?

3 किस तरह से जीबीपी पात्र परियोजना श्रेणियां अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध श्रेणियों से भिन्न होती हैं?

4 किस तरह से जीबीपी अन्तरराष्ट्रीय मौसम परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के अनुसार है, जैसे कि पैरिस समझौता, या सातत्यपूर्ण विकास लक्ष्य (एसडीजी)?

5 क्या ग्रीन बॉन्ड ऐसे जारीकर्ता द्वारा जारी किया जा सकता है जिसकी ईएसजी रेटिंग कम हो, विवादों से घिरा हो या विवादास्पद क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों में कार्य करता हो (जैसे कि जीवाश्म ईंधन या नाभिकीय ऊर्जा)?

6 क्या प्योर प्ले वाली कंपनियां ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकती हैं? क्या प्योर प्ले वाली कंपनियों के सभी बॉन्ड अपने आप ही ग्रीन बॉन्ड हो जाते हैं?

7 क्या बाहरी समीक्षा आवश्यक है?

8 एक प्रमाणित, सत्यापित और रेटेड ग्रीन बॉन्ड के बीच क्या भिन्नता है?

III धन का प्रयोग

1 क्या जीबीपी से इस बात को परिभाषित करने के स्पष्ट मानक मिलते हैं कि कौनसी परियोजनाएं या गतिविधियां ग्रीन मानी जाएं. क्या जीबीपी परियोजना श्रेणियां व्यापक हैं?

2 क्या सभी ग्रीन बॉन्ड मौसम से संबंधित होते हैं?

3 हर आकार वाली सभी जलशक्ति परियोजनाएं क्या ग्रीन बॉन्ड के लिए पात्र होती हैं?

4 क्या उस परियोजना को ग्रीन बॉन्ड में शामिल किया जाएगा जो कि जीवाश्म ईंधन के उत्पादन या जीवाश्म ईंधन के उत्पादन से जुड़ी औद्योगिक प्रक्रियाओं से जुड़ी परियोजनाओं पर ऊर्जा कौशल सुधार करती हो?

5 पुन: वित्त पोषित परियोजनाओं की आयु के बारे में जारीकर्ता पारदर्शिता कैसे बरते?

6 क्या अमूर्त संपत्तियां (जैसे कि शिक्षा, अनुवीक्षण, अनुसंधान और विकास, कर जमा) या व्यय भी ग्रीन बॉन्डों के लिए पात्र हैं? निवेशक इनकी पात्रता का निर्धारण केसे करे?

सामाजिक तथा सातत्ययोग्यता वाले बॉन्ड

1 बॉन्ड जब ऐसी परियोजनाओं को वित्त दे जो कि सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों ही के लिए लाभकारी हों जैसे कि सातत्यपूर्ण सामाजिक आवासन, सातत्यपूर्ण सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ जल की उपलब्धता, तो क्या जारीकर्ता मुक्तभाव से ग्रीन बॉन्ड, सामाजिक बॉन्ड या फिर सातत्यपूर्णयोग्यता वाले बॉन्ड में से किसी को भी चुन सकता है?

2 जब समूचा धन ग्रीन और/या सामाजिक परियाजनाओं में न लगाया जाए तो क्या जारीकर्ता ग्रीन, सामाजिक, या सातत्ययोग्यता वाला बॉन्ड जारी कर सकता है?

3 क्या सामाजिक बॉन्ड और सामाजिक प्रभाव वाले बॉन्ड में अंतर है?

IV जीबीपी और एसबीपी समुदाय का मिलना

1 मैं जीबीपी और एसबीपी का सदस्य या प्रेक्षक कैसे बन सकता हूं और कैसे समुदाय से सक्रिय संवाद कर सकता हूं?

2 कार्यकारी समिति को कैसे चुना जाता है?

3 कौनसे कार्यकारी दल विद्यमान हैं और मैं इनमें कैसे शामिल हो सकता हूं?

अस्वीकरण:

यह प्रलेख ग्रीन, सामाजिक और सातत्ययोग्यता वाले बॉन्डों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है. यह न तो ग्रीन बॉन्ड प्रिन्सीपल्स (जीबीपी), सामाजिक बॉन्ड प्रिन्सीपल्स (एसबीपी) और/या सातत्ययोग्यता वाले बॉन्ड मार्गदर्शी सिद्धांतों (एसबीजी) में से किसी का न तो अनुपूरक है न ही किसी की व्याख्या है. जीबीपी, एसबीपी और एसबीजी के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांतों और संस्तुतियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए इन प्रलेखों का अद्यतन अंक पढें जो कि सचिवालय द्वारा

प्रकाशित किया गया है. जीबीपी, एसबीपी और एसबीजी में जिस तरह से शब्दों को परिभाषित किया गया है उसी अर्थ के साथ इस प्रलेख में उनका प्रयोग किया गया है.

प्रश्न और उत्तर

I ग्रीन बॉन्ड

1 क्या ग्रीन बॉन्ड की कोई परिभाषा है?

जीबीपी हर उस तरह के बॉन्ड संलेख को ग्रीन बॉन्ड के तौर पर परिभाषित करते हैं जहां धन को अनन्य रूप से आंशिक रूप से या पूरी तरह से नए और/या विद्यमान पात्र ग्रीन परियोजनाओं में स्पष्ट पर्यावरणीय लाभ को दृष्टिगत रखते हुए वित्त पोषण या फिर पुन: वित्त पोषण के लिए लगाया जाए (जीबीपी के धन के प्रयोग हेतु खंड 1 देखें) और जो कि जीबीपी के चार घटकों के अनुसार हो.

2 क्या हर जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड की सरकारी सूची होती है?

जीबीपी सार्वजनिक तौर संसाधन केन्द्र पर जारीकर्ताओं की एक समाप्त न होने वाली सूची जारी करती है जिन्होंने अपनी बाहरी समीक्षा रिपोर्ट जारी की है और जिन्होंने बाज़ार सूचना टेम्पलेट को भर लिया है जिससे ग्रीन बॉन्ड जारीकर्ता सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि कर सकता है कि वे जीबीपी के अनुसार हैं. इसके अलावा, और भी कई सूचियां, डाटाबेस या संसूचक हैं जिनमें मार्केट डाटा प्रदाता, मौसम बॉन्ड पहल (सीबीआई) या बाहरी मत प्रदाता अपने स्वयं के मानदंडों के आधार पर जानकारी का विनिमय कर इन्हें अद्यतनीकृत करते हैं. जीबीपी का डाटाबेस और संसूचक कार्यकारी दल ने भी ग्रीन बॉन्ड डाटाबेस के सारांश प्रकाशित किए हैं और संसूचक प्रदाता जीबीपी संसाधन केन्द्र पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं.

3 ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाने के क्या लाभ हैं?

ग्रीन बॉन्ड में जारीकर्ता अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं कि वे स्पष्ट पर्यावरणीय लाभों वाली परियोजनाओं को वित्त प्रदान कर बाह्य और आंतरिक दोनों ही तरह से पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने की दिशा में कार्य करेंगे. ये अपने निवेशक आधार में और अधिक विविधता भी ला सकेंगे जिससे संभावित मांग बढ़े और संबंधित लाभों में वृद्धि हो.

4 क्या एक परियोजना बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड हो सकता है?

हां, परियोजना बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड हो सकता है यदि यह ग्रीन बॉन्ड की शर्तों पर खरा उतरता हो और यह जीबीपी के चार मुख्य घटकों के अनुसार हो.

5 ग्रीन बॉन्ड, मौसम बॉन्ड, पर्यावरणीय बॉन्ड, सामाजिक बॉन्ड, सातत्ययोग्यता वाले बॉन्ड और ईएसजी बॉन्डों में क्या अंतर है?

जीबीपी में यथापरिभाषित रूप से ग्रीन बॉन्डों में मौसम और पर्यावरणीय बॉन्ड शामिल होते हैं जब तक कि वे जीबीपी के चार प्रमुख घटकों के अनुसार हों. सामाजिक बॉन्ड प्रिन्सीपल्स (एसबीपी) (लिंक) में सामाजिक बॉन्डों की परिभाषा दी गई है, जबकि सातत्ययोग्य बॉन्ड के मार्गदर्शी सिद्धांत (एसबीजी) में सातत्ययोग्य बॉन्डों के बारे में बताया गया है. ग्रीन बॉन्डों, सामाजिक बॉन्डों और सातत्ययोग्य बॉन्डों की आम विशेषता उनके धन का पूर्वनिर्धारित प्रयोग और आम मानदंडों का स्वैच्छिक अनुपालन किया जाना है. जारीकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि जब भी जीबीपी और एसबीपी के चारों मुख्य घटकों के अनुसार जारी किए जाने पर यथोचित रूप से वे ग्रीन बॉन्ड, सामाजिक बॉन्ड या सातत्ययोग्य बॉन्डों का नाम दें. पर्यावरणीय सामाजिक और शासन (ईएसजी) बॉन्डों में भी समेकित शासन मानदंड होते हैं जो कि जीबीपी, एसबीपी, या एसबीजी की विशेषता नहीं होते, और ऐसे जारीकर्ताओं को धन के विशिष्ट प्रयोग की बजाय समग्र रूप से सातत्ययोग्य प्रामाणिकता के लिए जाना जाता है.

6 क्या ग्रीन बॉन्ड अलग संपत्ति श्रेणी में आते हैं?

चूंकि, ग्रीन बॉन्डों के समग्र जोखिम और लाभ संबंधी विशेषताएं ग्रीन से इतर बॉन्डों से भिन्न नहीं होतीं, जो कि उन सभी मानदंडों पर खरे नहीं उतरते जो कि सामान्यतया अलग से परिसंपत्ति श्रेणी के रूप में योग्यता पाने हेतु आवश्यक माने जाते हैं. हालांकि, कुछ निवेशक इससे सहमत नहीं हैं, और ग्रीन बॉन्डों से जुड़ने के सकारात्मक प्रभाव में सक्रिय योगदान के प्रयास में ग्रीन बॉन्डों के साथ आने के लिए समायोजन निवेश प्रक्रियाएं या आवंटनों की संख्या बढ़ रही है.

7 जारीकर्ता यदि जीबीपी का उल्लेख न करे तो निवेशक ग्रीन बॉन्ड की बॉन्ड के रूप में पात्रता कैसे पहचान सकता है?

यह जारीकर्ता पर है कि वह जीबीपी के साथ संगति की पुष्टि करे. कुछ वित्त सूचना प्रदाता और संसूचक जैसे कि ब्लूमबर्ग और एमएससीआई व्यापक और पूरक परिभाषाएं देते हैं जिनके लिए जीबीपी संसाधन केन्द्र से लिंक तलाशे जा सकते हैं.

8 जीबीपी संस्तुतियों को न मानकर क्या ग्रीन बॉन्ड चूक करेंगे?

जीबीपी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना स्वैच्छिक है. जारीकर्ताओं को चाहिए कि वे फिर भी अपनी रिपोर्टिंग में यह बताएं कि क्या उनके ग्रीन बॉन्ड (एकाधिक) जीबीपी संस्तुतियों के अनुसार हैं और यदि उनके ग्रीन बॉन्ड (एकाधिक) उनके पर्यावरण संबंधी दिए गए वचनों पर खरे नहीं उतरे और जीबीपी के अनुसार वे न रहे तो उनकी प्रतिष्ठा को भारी जोखिम उठाना पड़ेगा.

II सामान्य

1 क्या जीबीपी विनियामक संस्थान है?

नहीं, जीबीपी स्वैच्छिक मार्गदर्शन है कोई अनिवार्यता नहीं है. जीबीपी को इसकी कार्यकारी समिति के सदस्यों और और प्रेक्षकों द्वारा वार्षिक रूप से हर बार अद्यतनीकृत किया जाता है, इसमें जीबीपी सदस्यों द्वारा चुने गए बाज़ार के 24 प्रतिभागी होते हैं.

2 क्या जारीकर्ता को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है कि ग्रीन बॉन्ड जारी किए बिना परियोजनाएं नहीं ली जाएंगी?

नहीं. ग्रीन बॉन्ड मार्केट का प्रयोजन उन परियोजनाओं का वित्त पोषण या पुन: वित्त पोषण करना होता है जो कि पर्यावरणीय स्थिति को बनाए रखने में अपना योगदान करती हों भले ही वित्त पोषण के अन्य साधन उपलब्ध हों/रहे हों.

3 किस तरह से जीबीपी पात्र परियोजना श्रेणियां अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध श्रेणियों से भिन्न होती हैं?

जीबीपी से उच्च स्तरीय परियोजना श्रेणियां मिलती हैं. इन श्रेणियों का विस्तृत वर्गीकरण किया जा सकता है जैसे कि मौसम बॉन्ड पहल और बहुपक्षीय विकास बैंकों से प्राप्त होती हैं. इन वर्गीकरणों के लिंक संसाधन केन्द्र पर देखे जा सकते हैं.

4 किस तरह से जीबीपी अन्तरराष्ट्रीय मौसम परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के अनुसार है, जैसे कि पैरिस समझौता, या सातत्यपूर्ण विकास लक्ष्य (एसडीजी)?

जीबीपी निजी क्षेत्र द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांत हैं ताकि ग्रीन बॉन्ड मार्केट में पारदर्शिता और उजागर किए जाने की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट रीति-नीति को बढ़ावा मिले. पेरिस समझौता संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शन है. सातत्ययोग्य विकास पर संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची में एसडीजी एक हिस्सा है. हालांकि इन पहलों के लक्ष्यों के साथ यह ठीक से संगत है, फिर भी जीबीपी बाज़ार को गति देने वाली पहल के रूप में अलग और स्वतंत्र है. जीबीपी के अंतर्गत पात्र परियोजना श्रेणियों में मौसम परिवर्तन संबंधी हस्तक्षेप आते हैं, इनमें भी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि वृहत्तर पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान में लगी हैं. ग्रीन बॉन्ड आमतौर पर वित्त कार्यों की ओर लगे होते हैं जो इसलिए किए जाते हैं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और एसडीजी का अनुपालन हो सके. फिर भी, सभी 17 एसडीजी जीबीपी और/या एसबीपी की वर्तमान पात्र परियोजना श्रेणी में नहीं हैं.

5 क्या ग्रीन बॉन्ड ऐसे जारीकर्ता द्वारा जारी किया जा सकता है जिसकी ईएसजी रेटिंग कम हो, विवादों से घिरा हो या विवादास्पद क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों में कार्य करता हो (जैसे कि जीवाश्म ईंधन या नाभिकीय ऊर्जा)?

ग्रीन बॉन्डों का ध्यान पात्र परियोजनाओं पर होता है न कि जारीकर्ता स्वयं पर. फिर भी यह बात जान ली जानी चाहिए कि जीबीपी की संस्तुति है कि जारीकर्ता निवेशकों को स्पष्ट तौर पर अपने पर्यावरणीय सातत्ययोग्य उद्देश्यों के बारे में पूरी तरह से बताएं, और यह कि वे किस तरह से चुनी हुई परियोजनाओं से जुड़े संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का पता लगाकर उन पर काबू पाएंगे. बहुत से निवेशक तो जारीकर्ता की स्थिति पर ही ध्यान देते हैं और जारीकर्ता की समूची स्थिति और पर्यावरणीय सातत्ययोगयता संबंधी निष्पादन की गुणवत्ता को ही दृष्टिगत रखते हैं. विवादास्पद मामलों के आने पर जैसे कि जीवाश्म ईंधन, एक्सट्रेक्टिव या नाभिकीय गतिविधियां,या समूचे तौर पर सीमित सातत्ययोग्य प्रमाण, निवेशक, स्टॉक एक्सचेन्ज, संसूचक दाता, और अन्य बाज़ार के प्रतिभागी भी जारीकर्ता से अतिरिक्त पारदर्शिता चाहते हैं, खासतौर पर कारोबार हेतु सातत्ययोग्यता की कार्यनीतिगत महत्ता, स्थापित क्षेत्र के मानदंडों और सामान्य कारोबार से परे पड़ने वाली परियोजनाओं जारीकर्ता द्वारा लगाया जाने वाला समय और/या उनसे सातत्ययोग्य लाभ का प्रदर्शन.

6 क्या प्योर प्ले वाली कंपनियां ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकती हैं? क्या प्योर प्ले वाली कंपनियों के सभी बॉन्ड अपने आप ही ग्रीन बॉन्ड हो जाते हैं?

ऐसी कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड जिनका कारोबार अनन्य रूप से हरित अर्थव्यवस्था (प्योर प्ले) का ही है उन्हें ही ग्रीन बॉन्ड माना जाता है बशर्ते ये पूरी तरह से जीबीपी का पालन करते हों (ऊपर ग्रीन बॉन्ड की परिभाषा देखें). फिर भी, जीबीपी, ऐसा मानती है कि मौसम और/या पर्यावरणीय विषयक तमाम तरह के बॉन्ड हैं जिनमें से कुछ (जो कि पूरी तरह से जीबीपी के अनुसार नहीं चलते) प्योर प्ले बॉन्ड हैं जो कि उनका एक हिस्सा भर हैं.

7 क्या बाहरी समीक्षा आवश्यक है?

जीबीपी की संस्तुति है कि जारीकर्ता बाहरी समीक्षा करवाएं ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि उनके ग्रीन बॉन्ड जीबीपी की मुख्य विशेषताओं को लिए हुए हैं. इसके अलावा, निवेशक द्वितीय पक्ष के मतों, बाहरी समीक्षकों द्वारा उपलब्ध करवाए गए सत्यापनों और सत्यापनों को समझें/उनका स्वागत करें.

8 एक प्रमाणित, सत्यापित और रेटेड ग्रीन बॉन्ड के बीच क्या भिन्नता है?

ग्रीन बॉन्ड का बाहरी मूल्यांकन उपलब्ध करवाने के बारे में कई दृष्टिकोण हैं. सर्वाधिक आम दृष्टिकोण जीबीपी और एसबीपी के बाहरी समीक्षा खंडों में दिए गए हैं. भिन्न दायरों और भिन्न सतरों वाले भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भिन्न प्रदाता और समीक्षाओं के प्रकार होते हैं. बाहरी समीक्षा करने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने कार्य का दायरा शामिल करें और अपने दृष्टिकोण के बारे में बताने के लिए संसाधन केन्द्र पर दिए गए टेम्पलेट को भरें.

III धन का प्रयोग

1 क्या जीबीपी से इस बात को परिभाषित करने के स्पष्ट मानक मिलते हैं कि कौनसी परियोजनाएं या गतिविधियां ग्रीन मानी जाएं? क्या जीबीपी परियोजना श्रेणियां व्यापक हैं?

जीबीपी से मात्र वृहत रूप से सुझाई गई ग्रीन श्रेणियां ही मिलती हैं, किंतु संदर्भगत विद्यमान मामले मानक और वर्गीकरण को प्रोत्साहन मिलता है (जैसे कि क्षेत्र विशेष के लिए लेबल और प्रत्यायन) और/या अपने कार्यढांचे को विकसित करना. परियोजनाओं में भी कई श्रेणियां हो सकती हैं, या फिर ये ऐसी श्रेणियों में आती हों जो कि सुव्यक्त तौर पर जीबीपी की सूची में न हों.

2 क्या सभी ग्रीन बॉन्ड मौसम से संबंधित होते हैं?

नहीं, जीबीपी में संबंधित चार मुख्य क्षेत्र हैं ये हैं मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का समाप्त होना, जैवविविधता में कमी, और वायु, जल या मृदा प्रदूषण. जो परियोजना इन क्षेत्रों में स्पष्ट तौर पर पर्यावरणीय रूप से लाभकारी है उसे ग्रीन बॉन्डों के माध्यम से पैसा दिया जा सकता है.

3 हर आकार वाली सभी जलशक्ति परियोजनाएं क्या ग्रीन बॉन्ड के लिए पात्र होती हैं?

जीबीपी से पता चलता है कि नवीकरणयोग्य ऊर्जा परियोजनाएं, जेसे कि पनबिजली, संभावित रूप से ग्रीन बॉन्ड द्वारा वित्तपोषित होने के लिए पात्र हैं, भले ही उनका आकार कुछ भी क्यों न हो. इसके अलावा, जीबीपी की संस्तुति है कि जारीकर्ता स्पष्ट तौर पर निवेशकों को समूचे तौर पर अपने पर्यावरणीय सातत्ययोग्य उद्देश्यों के बारे में बताए और यह कि वे ग्रीन बॉन्ड द्वारा वित्त किए जाने के लिए चुनी गई परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को कैसे पहचानेंगे और कैसे इन पर काबू पाएंगे. यह भी संस्तुति है कि जारीकर्ता बाहरी समीक्षा का प्रयोग करेंगे ताकि पर्यावरणीय सातत्ययोग्यता पर सलाह मिल सके और वित्त की जाने वाली परियोजनाओं का क्या प्रभाव प्रत्याशित है. यह जान लिया जाना चाहिए कि निवेशक, स्टॉक एक्सचेन्ज, संसूचक प्रदाता और अन्य बाज़ार प्रतिभागी ग्रीन बॉन्डों को वृहत्तर ईएसजी अपेक्षाओं सहित अपने स्वयं के पर्यावरणीय मूल्यांकन मानकों और निवेश मानदंडों के विपरीत मानते हैं.

4 क्या उस परियोजना को ग्रीन बॉन्ड में शामिल किया जाएगा जो कि जीवाश्म ईंधन के उत्पादन या जीवाश्म ईंधन के उत्पादन से जुड़ी औद्योगिक प्रक्रियाओं से जुड़ी परियोजनाओं पर ऊर्जा कौशल सुधार करती हो?

उनकी पात्रता की संभावना तभी तक है जब तक कि बॉन्ड ऐसी परियोजनाओं को वित्त पोषित करे जो कि जीबीपी के चार मुख्य घटकों के अनुरूप हों. जीबीपी की संस्तुति है कि जारीकर्ता स्पष्ट तौर पर निवेशकों को बताएं कि उनके पर्यावरणीय सातत्ययोग्यता उद्देश्य क्या हैं और वे इन परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणीय तथा सामाजिक जोखिमों को किस तरह से पहचानेंगे और उन पर काबू पाएंगे. यह भी संस्तुति है कि जारीकर्ता पर्यावरणीय सातत्ययोग्यता और वित्त की जाने वाली परियोजनाओं के संभावित प्रभाव पर सलाह के लिए बाहरी समीक्षा को काम में लाएं. निवेशक, स्टॉक एक्सचेन्ज, संसूचक प्रदाता, और अन्य बाज़ार प्रतिभागी भी ग्रीन बॉन्डों को अपने पर्यावरणीय मूल्यांकन मानकों और निवेश मानदंडों के विपरीत मानते हैं जिनसे कि ऊर्जा कौशल सुधारों हेतु लक्ष्य की सीमा बनती है और इसमें वृहत्तर ईएसजी अपेक्षाएं शामिल होती हैं. इनमें से कुछेक बाज़ार प्रतिभागी और हितधारी ऐसे बॉन्डों को शामिल नहीं करते जिनसे कि जीवाश्म ईंधन संबंधी परियोजनाओं को वित्त दिया जाता है, जबकि अन्य ऐसा नहीं करते, उदाहरण के लिए, अधिक कार्बन वाली अधिरचना का दीर्घावधिक लॉक इन न दिया जाना ऊर्जा कौशल सुधारों में शामिल है. बहुपक्षीय विकास बैंकों, विकास वित्त संस्थानों और सीबीआई सहित कई संगठनों ने जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में ऊर्जा कौशल हेतु मानक विकसित किए हैं जिससे बाज़ार के प्रतिभागी इस संदर्भ में प्रोत्साहित हैं.

5 पुन: वित्त पोषित परियोजनाओं की आयु के बारे में जारीकर्ता पारदर्शिता कैसे बरते?

जीबीपी की संस्तुति है कि जारीकर्ता यह बात साफ करें कि किन परियोजनाओं को फिर से वित्त दिया जाना है और उनके बारे में जहां तक संगत हो बताएं, इन फिर से वित्त की जाने वाली परियोजनाओं हेतु प्रत्याशित लॉक-बैक अवधि क्या है (यानी उन गत वर्षों की संख्या जिन्हें जारीकर्ता मुड़कर देखेगा).

6 क्या अमूर्त संपत्तियां (जैसे कि शिक्षा, अनुवीक्षण, अनुसंधान और विकास, कर जमा) या व्यय भी ग्रीन बॉन्डों के लिए पात्र हैं. निवेशक इनकी पात्रता का निर्धारण केसे करे?

ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त धन से पात्र हरित परियोजनाओं से संबंधित या इनके समर्थन में अन्य व्ययों हेतु वित्त या पुन: वित्त किया जा सकता है बशर्ते जब तक ये स्पष्ट पर्यावरणीय लाभों से जुड़े हों. जीबीपी की संस्तुति है कि जारकर्ता एक बाहरी समीक्षा का प्रयोग करें ताकि निवेशकों को यह मूल्यांकन करने में सहायता मिले कि बॉन्ड वित्त की जाने वाली परियोजनाओं के पर्यावरणीय लाभों सहित जीबीपी के चार मुख्य घटकों के अनुरूप हैं.

सामाजिक तथा सातत्ययोग्यता वाले बॉन्ड

7 बॉन्ड जब ऐसी परियोजनाओं को वित्त दे जो कि सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों ही के लिए लाभकारी हों जैसे कि सातत्यपूर्ण सामाजिक आवासन, सातत्यपूर्ण सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ जल की उपलब्धता, तो क्या जारीकर्ता मुक्तभाव से ग्रीन बॉन्ड, सामाजिक बॉन्ड या फिर सातत्यपूर्णयोग्यता वाले बॉन्ड में से किसी को भी चुन सकता है?

हां, (जब तक बॉन्ड जीबीपी या एसबीपी के चार मुख्य घटकों के अनुरूप हैं). जारीकर्ता यह निर्धारित करे कि इनका नाम निहित परियोजनाओं के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राथमिकता पर निर्भर हो. जारीकर्ता का प्राथमिक ध्यान जिस पर्यावरणीय परियोजना के उद्देश्य पर है उसे चाहिए कि वह ग्रीन बॉन्ड पर उस बॉन्ड का लेबल लगाए. जारीकर्ता का परियोजना के जिन अभीष्ट सामाजिक उद्देश्यों पर प्राथमिक ध्यान हो वह उसका लेबल सामाजिक बॉन्ड पर लगाए. सातत्ययोग्यता वाले बॉन्ड के मार्गदर्शी सिद्धांत उन बॉन्डों के लिए बनाए गए हैं जिनमें सामाजिक और ग्रीन दोनों ही तरह की परियोजनाएं शामिल हैं. जारी किया जाना उपर्युक्त तीन श्रेणियों में से किसी एक में आना चाहिए, और जारीकर्ता इसीलिए एक ही लेनदेन हेतु कई नामों का प्रयोग न करे, अन्य बातों के रहते हुए भी सच्चाई यह है कि ग्रीन परियोजनाओं से सामाजिक लाभ हो सकते हैं और वहीं सामाजिक परियोजनाओं के पर्यावरणीय लाभ हो सकते हैं.

8 जब समूचा धन ग्रीन और/या सामाजिक परियोजनाओं में न लगाया जाए तो क्या जारीकर्ता ग्रीन, सामाजिक, या सातत्ययोग्यता वाला बॉन्ड जारी कर सकता है?

नहीं. ग्रीन, सामाजिक या सातत्ययोग्य बॉन्डों की 100 प्रतिशत धनराशि ग्रीन और सामाजिक परियोजनाओं के लिए ही प्रयोग में लाई जानी चाहिए. हर परियोजना से एक समय के बाद ही पैसा आाता है, इनमें अस्थायी तौर पर अनावंटित बॉन्ड धन हो सकता है, और जारीकर्ता को चाहिए कि वह सुव्यक्त रूप से लिखे कि अनावंटित धन को किस तरह से अस्थायी रूप से निवेश में लगाया जाएगा/लगाया गया है.

9 क्या सामाजिक बॉन्ड और सामाजिक प्रभाव वाले बॉन्ड में अंतर है?

सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, इन्हें कार्य हेतु भुगतान संलेख भी कहा जाता है इनका मतलब सरकारी और निजी सहभागिता होती है जिसमें लेनदेनों के नकद प्रवाह पूर्व परिभाषित वित्त से इतर किए गए कार्यों की रूपरेखा पर निर्भर होते हैं और इनमें आमतौर पर बॉन्ड की अनन्य विशेषताएं नहीं होतीं. बल्कि सामाजिक बॉन्ड किसी भी तरह के बॉन्ड संलेख हो सकते हैं जहां धन को अनन्य रूप से वित्त या फिर से वित्त किए जाने के लिए आंशिक या पूरी तरह से नए और/या विद्यमान परियोजनाओं में लगाया जाता है जिनसे सकारात्मक सामाजिक लाभ हों और जो कि सामाजिक बॉन्ड प्रिन्सीपल्स यानी सिद्धांतों के 4 घटकों के अनुरूप हों.

IV जीबीपी और एसबीपी समुदाय का मिलना

1 मैं जीबीपी और एसबीपी का सदस्य या प्रेक्षक कैसे बन सकता हूं और कैसे समुदाय से सक्रिय संवाद कर सकता हूं?

जो संगठन ग्रीन बॉन्ड, सामाजिक बॉन्ड, या सातत्ययोग्य बॉन्ड बाज़ार में अधिकतर ग्रीन या सामाजिक वित्त में कार्य करते हैं वे जीबीपी में सदस्य या फिर प्रेक्षक के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं. अधिक जानकारी के लिए आप निम्नोक्त वैबपेज पर पधारें:
http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-bonds/membership/

2 कार्यकारी समिति को कैसे चुना जाता है?

कार्यकारी समिति का गठन 24 संगठनों को मिलाकर होता है जिनमें निवेशकों, जारीकर्ताओं, और बीमा करने वालों में से सबके अलग-अलग 8 प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है. हर साल, कार्यकारी समिति की आधी सीटों को शासन की तर्ज पर एजीएम के समक्ष सदस्यों के मत द्वारा नवीकृत किया जाता है.

3 कौनसे कार्यकारी दल विद्यमान हैं और मैं इनमें कैसे शामिल हो सकता हूं?

वर्तमान में चार कार्यकारी समूह हैं (हरित परियोजना पात्रता, प्रभाव रिपोर्टिंग, संसूचक और डाटाबेस और सामाजिक बॉन्ड). जो सदस्य, प्रेक्षक, और अन्य बाज़ार के हितधारी इसमें शामिल होने हेतु दिलचस्पी रखते हों वे निम्नोक्त ईमेल Greenbonds@icmagroup.org पर सचिवालय से संपर्क करें.

अस्वीकरण

यह प्रलेख ग्रीन, सामाजिक और सातत्ययोगय बॉन्डों के बारे में जानकारी प्रदान किए जाने के प्रयोजन से बनाया गया है. यह न तो ग्रीन बॉन्ड प्रिन्सीपल्स (जीबीपी), सामाजिक बॉन्ड प्रिन्सीपल्स (एसबीपी) और/या सातत्ययोग्यता वाले बॉन्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों (एसबीजी) का न तो अनुपूरक है न ही उसकी व्याख्या ही करता है. जीबीपी, एसबीपी और एसबीजी के मार्गदर्शी सिद्धांतों और उनकी संस्तुतियों पर अधिक जानकरी के लिए आप इन प्रलेखों के नवीनतम अंक पढ़ें जो कि सचिवालय द्वारा प्रकाशित किए गए हैं. जीबीपी, एसबीपी, और एसबीजी में जिन शब्दों की जो परिभाषा दी गई है उनका वही अर्थ इस प्रलेख में प्रयुक्त है.

Hindi language translation courtesy of YES BANK and reviewed by Citi